न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 56/2018
3. उनवान : रतन सिह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बागावास तहसील किशनगढ रेनवाल पंचायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर।

बनाम

1. बोदूराम पुत्र श्री सुन्दरलाल (मृतक)
1/1 पूरा देवी पत्नी बोदूराम
1/2 रामलाल पुत्र बोदूराम
1/3 फूलचन्द पुत्र बोदूराम
1/4 रामरतन पुत्र बोदूराम
1/5 बनवारी पुत्र बोदूराम
1/6 प्रेम पुत्री बोदूराम
1/7 सरजू देवी पुत्री बोदूराम
समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम बागावास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
2. फूलचन्द पुत्र श्री बोदूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम बागावास तहसील किशनगढ रेनवाल पंचायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत बागावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बागावास पंवायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर।
4. सुमेर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी बागावास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
5. गोपाल पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम बाघावास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम :
   अ) अधिवक्ता श्री राम अवतार शर्मा निगरानीकर्ता की ओर से।
   ब) अधिवक्ता मदन लाल कुडी गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की ओर से।
   स) अधिवक्ता राकेश स्वामी गैर निगरानीकार संख्या 3 की ओर से।
   द) अधिवक्ता श्री राम सिंह गैर निगरानीकार संख्या 4 की ओर से।
   य) अधिवक्ता श्री ज्ञानेश्वर बाजदार गैर निगरानीकार संख्या 5 की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निर्णय

निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 6 दिनांक 06.06.1999

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता की पुश्तैनी संयुक्त रूप से काबिज आबादी भूमि ग्राम बागावास में स्थित है। निगरानीकर्ता के दादा स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा छोडी गयी उक्त पुश्तैनी आबादी भूमि जिसमें लक्ष्मण सिंह के दो पुत्र हुए, एक निगरानीकर्ता के पिता स्वर्गीय श्री मोहन सिंह तथा दूसरा स्वर्गीय श्री मदन सिंह। इस प्रकार उक्त भूखण्ड पर 1/2 हिस्से पर खाम मकान बनाकर स्वर्गीय मोहन सिंह के वारिसान निगरानीकर्ता व अन्य उपयोग व उपभोग करते आ रहे है एवं 1/2 हिस्से पर मदन सिंह के वारिसान उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त पुश्तैनी आबादी भूमि का गैर निगरानीकार संख्या एक व दो ने साजपूर्वक तथा अपने पदीय लाभ उठाते हुए निगरानीकार संख्या एक ने अपने नाम से पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 06 दिनांक 06/06/1999 को अपने नाम जारी करवा लिया। तत्पश्चात् गैर निगरानीकार संख्या दो ने गैर निगरानीकार संख्या एक से उक्त बेनामी संव्यवहार को गैर निगरानीकार संख्या 2 ने अपने नाम दानपत्र दिनांक 08/02/2008 को निष्पादित करवा लिया। उक्त कृत्य व षडयन्त्र की निगरानीकार को जानकारी दिनांक 19/10/2014 को हुई, तो निगरानीकार ने गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 से मिलकर उन्हें स्वयं निगरानीकार के हिस्से की भूमि को बेचान न करने की बात कहने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 उग्र हो गये तथा निगरानीकार के साथ मारपीट की व गाली गलोच की।

प्रश्नाधीन उक्त आबादी सम्पति निगरानीकार की संयुक्त कब्जे की पुश्तैनी आबादी भूमि है, जिस पर निगरानीकार के पिता स्वर्गीय श्री मोहन सिंह का 1/2 हिस्सा निहित है एवं उसी अनुसार निगरानीकार के पिता मोहन सिंह के अन्य वारिसान उक्त 1/2 आबादी भूमि पर काबिज चले आ रहे है एवं आज भी खाम मकान आदि निगरानीकार के मौजूद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकार के निहित हिस्से व कब्जे को नजर अन्दाज करते हुए बिना कब्जा व बिना मौका निरीक्षण किये बगैर उक्त आबादी भूमि पर पंचायत राज प्रावधानों के बाहर जाकर पट्टा जारी कर दिया, जो कानूनन शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण काबिले निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गैर निगरानीकार संख्या 1 का पुत्र निगरानीकार संख्या 2 वर्ष 1996 से 2000 के मध्य ग्राम पंचायत बागावास का वार्ड पंच के पद पर कार्यरत था तथा अपने पद पर कार्यरत था तथा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भूतपूर्व सरपंच से साज पूर्वक अपने पिता बोदूराम पुत्र सुन्दरलाल कुमावत हाल गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में साजपूर्वक षडयन्त्र रचकर बेनामी संव्यवहार के रूपमें पट्टा जारी करवा लिया। जबकि उक्त पट्टे की पुश्त पर क्रेता के हस्ताक्षर की जगह स्वयं गैर निगरानीकार संख्या 2 के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह तथ्य अपने आप ही साबित होता है कि निगरानीकार संख्या 2 ने साजपूर्वक अपने पिता हाल गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए पट्टा जारी करवा लिया। जिसको गैर निगरानीकार संख्या 2 ने दिनांक 08/02/2008 को अपने हक में दान पत्र निष्पादन करवा लिया।

गैर निगरानीकार संख्या 1 ने उक्त आबादी भूखण्ड मदन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह से जरिये इकरारनामा दिनांक 19.6.1998 को क्रय होना बताया जो इकरारनामा उक्त आबादी भूखण्ड का अपने हक में निष्पादन बताया वह भी दिनांक 19.06.1998 को निष्पादित है, जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने पंखयत के समक्ष दिनांक 06.08.1997 को उक्त प्रश्नाधीन सम्पति के संबंध में अपना कब्जा बताते हुए अपने पक्ष में पट्टा जारी करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार जब गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में किसी प्रकार का कब्जा या कोई इकरारनामा पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन की दिनांक नहीं है तो गैर निगरानीकार का कब्जा अपने आप में किसी भी प्रकार से साबित नहीं होता है। पंचायती राज नियमों के अनुसार किसी भी आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के पूर्व 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए तथा उसकी रिपोर्ट वांछनीय है, जिसे अनदेखा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी मौका रिपोर्ट, बिना किसी जांच के निगरानीकार के आबादी भूखण्ड का अपीलाधीन पट्टा जारी किया। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने फर्जी

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

इकरारनामा जो मदन सिंह लक्ष्मण सिंह के द्वारा दिनांक 19.06.1996 को निष्पादित किया हुआ बताया है उक्त इकरारनामें में मात्र मदन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह 1/2 हिस्से की भूमि का ही निष्पादन करने के लिए कानूनन अधिकारी है, ना कि सम्पूर्ण भूमि के इकरारनामा निष्पादित करने का अधिकारी थी। इस प्रकार तथाकथित इकरारनामा निष्पादित किया जाना कानूनन शून्य व अवैध है तथा गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 को उक्त इकरारनामा मात्र से किसी भी प्रकार के निगरानीकार की पुश्तैनी भूमि पर कोई स्वामित्व या अन्य प्रकार के हित मिलना संभव नहीं है। इकरारनामे में उल्लेखित है कि विक्रेता मदन सिंह के नाम से पट्टा संख्या 15 ग्राम पंचायत बागावास के नाम से जारी किया गया है, जो 987 वर्गगज का है, जबकि मदन सिंह के नाम से मात्र उक्त पट्टा संख्या 15 में 74.25 वर्ग गज का ही पट्टा जारी किया गया है। जब पट्टा संख्या 15 पूर्व में उक्त सम्पति का जारी हो गया तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नाधीन सम्पति का अपीलाधीन पट्टा संख्या 24 जारी नहीं करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने पंचायत राज अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना मौका निरीक्षण, बिना नोटिस प्रकाशित किये तथा बिना कब्जा रिपोर्ट के उक्त कृत्य किया है, जो पंचायत राज अधिनियम में प्रावधानों के नियम 146, 148, 152, 157 के नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण काबिले निरस्त योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि ग्राम पंचायत बागावास से पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 6 जारी दिनांक 06.06.1999 को निरस्त फरमाया जाये।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की ओर से ज़वाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थी गैर निगरानीकार संख्या 1 ने नियमानुसार ग्राम पंचायत में पट्टे हेतु आवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नियमों का पालन करते हुये पट्टा जारी किया है, जो सही है। मात्र हैरान परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी ने निगरानी पेश की है, जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। पंचायत ने पंचायत प्रावधानों के तहत उक्त पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी किया है और गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 को नियमानुसार रजिस्टर्ड दान पत्र किया है। उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड जो जरिये इकरारनामा दिनांक 19.06.1998 को श्री मदन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिह राजपूत से खरीद के लिए निष्पादित किया है, इससे पूर्व ही मौखिक रूप से उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड का विक्रय गैर निगरानीकार संख्या 1 को कर दिया गया था और कब्जा मौके पर संभला दिया गया था। जिसके अनुसार क़ाबिज होकर उक्त जगह का पट्टा हेतु आवेदन नियमानुसार ग्राम पंचायत को किया और ग्राम पंचायत ने नियमानुसार आवंटन नियमों की पालना कर पट्टा जारी किया है, जो सही है। चूँकि जरिये इकरारनामा जो श्री मदन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के हक व अधिकार की कब्जाशुदा आबादी भूमि का गैर निगरानीकार संख्या 1 को किया है। उसी अनुसार काबिज होकर गैर निगरानीकार संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से नियमानुसार पट्टा प्राप्त किया है।

अतिरिक्त कथन में अंकित किया गया है कि निगरानीधीन आबादी भूमि, जो निगरानीकार अपने पूर्वजों के हिस्से की बता रहा है, वह पूर्व में ही निगरानीकार के पिता श्री मोहन सिंह ने जरिये इकरारनामा दिनांक 17.02.1993 को श्री सांवलराम पुत्र भूराराम कुमावत को बेचान कर दिया। जिस पर स्वैंयं निगरानीकार के बतौर गवाह हस्ताक्षर हैं व दिनांक 28.01.1996 को सांवल के पुत्र रामेश्वर ने उक्त भूमि का अपने नाम से पट्टा 1298 वर्गगज का प्राप्त कर लिया तथा उपयोग उपभोग कर रहा था। रामेश्वर लाल पुत्र सांवलराम कुमावत ने दिनांक 14.11.2006 को जरिये इकरारनामा श्री तेजसिंह राजपूत को बेचान कर दिया। गैर निगरानीकार को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी पेश की गई है। जिसमें किसी भी प्रकार का लोकस स्टेण्डाई निगरानीकार का नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा पट्टा शुदा कब्जे की आबादी भूमि को निम्न दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया:—

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

1. ओमप्रकाश पुत्र झूंथाराम कुमावत को 30.12.2013 को 19 वर्गगज का बेचान।
2. जगदीश पुत्र नारायण यादव को 21.10.2014 को ओमप्रकाश ने बेचान किया।
3. बाबूलाल पुत्र चन्दाराम यादव को 30.12.2013 को 19-19 वर्गगज का बेचान।
4. मोहनी देवी पत्नी रूडमल यदव को 30.12.2013 को 42.22 वर्गगज को बेचान।
5. किशनलाल पुत्र शंकरलाल सोनी को 30.12.2013 को 35.88 वर्गगज को बेचान।
6. सुमेर सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत को 14.01.2014 को 35.88 वर्गगज का किशनलाल सोनी ने बेचान कर दिया।
7. गोपाल पुत्र रामचन्द्र को दिनांक 21.10.2014 को 27.44 वर्गगज तथा 27 वर्ग गज को बेचान कर दिया।

उक्त किये गये बेचान पत्रों को किसी भी सक्षम न्यायालय में निगरानीकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई तथा ना ही उक्त क्रेताओं को उक्त निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि आवश्यक पक्षकार हैं। जो मौके पर काबिज हैं तथा शेष भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 काबिज है। पट्टी कातले डालकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार से सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते हुए भी निगरानीकार ने मिथ्या तथ्यों पर उक्त निगरानी पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। सभी विक्रय पत्र व इकरारनामे दस्तावेज सूची जवाब के साथ संलग्न है।

गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी किया गया पट्टा पंचायती राज प्रावधानों की पालना कर ग्राम पंचायत ने पंच बैठक कार्यवाही में कोरम के समक्ष सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए नियत शुल्क गैर निगरानीकार से प्राप्त कर नियमानुसार क्त पट्टा जारी किया है। निगरानीकार ने प्रस्तुत निगरानी में पट्टे के संबंध में जानकारी होना कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है। मात्र दानपत्र की जानकारी का उल्लेख किया है, ना ही कोई किसी प्रकार का कोई वादकारण उत्पन्न होना अंकित किया है। बिना वाद कारण ही उक्त निगरानी पेश की गई है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर होने से व बिना वाद कारण पैदा हुए पेश करने पर खारिज किये जाने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 का जवाब स्वीका कर निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमायी जाये एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी किया गया पट्टा सख्या 24 दिनांक 06.06.1999 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जायें।

गैर निगरानीकार संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि निगरानी में विवादग्रस्त भूमि गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 साज पूर्वक व अपने पदीय लाभ उठाते हुए गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अपने नाम से पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 6 दिनांक 06.06.1999 को अपने नाम से जारी करवा लिया। उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निगरानीकर्ता का कब्जा है। उक्त भूमि निगरानीकर्ता की पुश्तैनी भूमि है एवं उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से निगरानीकर्ता काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। निगरानीधीन भमि पर निगरानीकर्ता के पिता के समय से ही निगरानीकर्ता का सयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा था। बिना मौके एवं कब्जे की जांच किये ही निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया। पट्टा जारी करने की दिनांक 06.06.1999 को गैर निगरानीकर्ता 2 जो कि गैर निगरानीकर्ता 1 (पट्टाधारी) का पुत्र है, जो ग्राम पंचायत बागावास को वार्ड पंच के पद पर कार्यरत था। पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में किसी पद पर कार्यरत होते हुये कोई व्यक्ति अपने या आने परिवार के पक्ष में कोई किसी प्रकार का पट्टा जारी किया जाना वैधानिक नहीं है, जबकि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त पट्टा अपने पिता गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के नाम जारी करवाया, जो अवैध है। ग्राम पंचायत

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

के पूर्व सरपच ने ग्राम पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर उक्त आदेश पारित किया है, जो अवैध है। उक्त आबादी भूमि निगरानीकर्ता की पुश्तैनी भूमि है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 तथा भूतपूर्व सरपंच ने अन्य वार्ड पंचों के द्वारा साज कर उक्त पट्टा जारी किया है जबकि पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में पद पर रहते हुए अपने स्वयं के या अपने परिवार के सदस्य के पक्ष मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करना स्वमेव ही अवैधानिक है। निगरानीधीन पट्टा बिना मौके की जांच किये हुये पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया है। तत्कालीन सरपंच ने पंचायत राज अधिनियम के विपरीत जा कर निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। अन्त में निवेदन किया गया है कि ग्राम पंचायत बागावास द्वारा पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 6 जारी दिनांक 06.06.1999 पंचायत राज अधिनियम के विपरीत जाकर जारी किया गया है। इसलिए उचित आदेश फरमाने की कृपा करें।

तत्पश्चात मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक 499 दिनांक 01.08.2019 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित किया है कि उक्त संदर्भ में भू-अभिलेख निरीक्षक बागावास एवं पटवारी हल्का द्वारा उपस्थित मौतबिरान के समक्ष भाग 'अ' 570 वर्ग फीट व भाग 'ब' 3333 वर्ग फीट दोनों के फ्रन्ट भाग आम रास्ता पश्चिम की तरफ पर लोहे के सरिया डालकर बीम खडे कर रखे हैं। करीब एक फीट तक सीमेन्ट भरी हुई है। शेष में लोहे के सरिये खले हैं। जो करीब 3-4 वर्ष पुराने खडे किये प्रतीत होते हैं, शेष भाग खाली पडा है। संलग्न पट्टे के भाग 'स' पर रूडी (गोबर की ढेरी) डाली हुई है। पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित मनीष कुमावत ने बताया कि यह रूडी मैने डाल रखी है, जो किराया पर ली हुई है। यह किराया रतन सिंह पुत्र मोहन सिंह को देता हूँ। मेरे पास गोबर डालने की जगह नहीं है। जिससे जाहिर होता है कि पट्टाशुदा भूमि के पूर्वी भाग में रतन सिंह का रूडी डालने के हिसाब से कब्जा चला आ रहा है।

अन्य गैर निगरानीकारान द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि पट्टा संख्या 24 जो दिनांक 06.06.1999 को जारी किया गया था, जो माप में 706 वर्गगज है। जिसके संबंध में कथन किया है कि पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार दो प्रकार से पट्टे जारी करने का अधिकार पंचायत को है। नियम 157 के अन्तर्गत- रेग्यूलाईजेशन अथवा कब्जे का नियमितीकरण किया जाता है। जिसमें 50 वर्ष से अधिक समय का कब्जा होने पर नियमितिकरण किया जाता है। पंचायत द्वारा 2003 तक के नियमितिकरण किये गये, जिसमें 300 वर्गगज तक के पट्टों का नियमितिकरण किये जाने का प्रावधान है। नियम 157 में प्रक्रिया नहीं होने पर किस नियम में पट्टा जारी किया गया। दूसरा प्रावधान है- पंचायत भूमियों पर पंचायती राज नियम 143 से 156 तक के नियम के तहत खाली पडी पंचायत भूमियों का निलामी बोली के द्वारा डीएलसी रेट अथवा अधिकतम बाजार कीमत पर विक्रय किये जाने का प्रावधान है। पट्टा संख्या 24 के क्रम मे निगरानीकार ने मदन सिंह से इकरारनामे से 19.08.1998 को खरीद की गई, जबकि तथ्य यह है कि 06.08.1997 को कब्जा बताते हुए पट्टे के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। पंचायती राज अधिनियम मे 300 वर्गगज तक पट्टा जारी करने का अधिकार पंचायत को 300 से 500 वर्ग गज तक का पट्टा जारी करने का अधिकार पंचायत समिति को एवं 500 से 1200 वर्गगज तक का पट्टा कलेक्टर को तथा इससे अधिक के लिए सरकार द्वारा पट्टा जारी करने का प्रावधान है। जबकि उक्त पट्टे के संबंध मे उच्च स्तर से कोई स्वीकृति नही ली गई एवं पट्टा जारी किया गया। तथ्य यह है कि फूलचन्द पुत्र बोदूराम तत्समय पंचायत मे वार्ड पंच था एवं पट्टे के संबंध मे प्रोसिडिंग एवं प्रस्ताव लिया गया। वह दो तिहाई सदस्यों मे स्वयं भी शामिल था। प्रस्ताव संख्या 6 के सन्दर्भ मे उक्त फूलचन्द के स्वयं के हस्ताक्षर है, जो बोदूराम का लिखा था। उक्त भूमि निगरानीकार की पैतृक आबादी भूमि है। गैर निगरानीकार ने उक्त प्रकरण मे प्रश्नगत भूमि के संबंध मे प्रार्थना पत्र पेश कर मौका रिपोर्ट

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

तहसीलदार से लिये जाने का निवेदन किया था। मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2019 को पेश हुई। उक्त रिपोर्ट में आधी भूमि पर निगरानीकार का कब्जा बताया गया। गैर निगरानीकार ने पुनः मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया, जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। आज भी निगरानीकार मौके पर काबिज है।

इस प्रकार गैर निगरानीकार ने अपने पदीय स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने पिता के पक्ष में पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अनुतोष प्राप्त किया। पश्चात समय बीतने के आदेश की जानकारी निगरानीकर्ता को तब हुई, जब गैर निगरानीकार ने मौके पर निर्माण कार्य शुरू किया, जो मौका रिपोर्ट में आज भी उसी स्थिति में दृश्य है। गैर निगरानीकार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। जिसकी दर्ज संख्या 332/15.11.2014 है। गैर निगरानीकार संख्या 1 से 2 फूलचन्द के हक में दानपत्र लिखवा लिया और टुकडों में उक्त भूमि को विकय करता रहा। जिनके द्वारा पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत हुए। ग्राम पंचायत ने रिपोर्ट में लिखा है कि निगरानीकार का कब्जा उक्त भूमि पर है। उक्त भूमि पर ही एक अन्य पट्टा संख्या 15 जो 125 वर्ग गज का है, जो 1976 में जारी किया गया, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इकरारानामें में उल्लेखित है कि विक्रेता मदन सिंह के नाम से पट्टा संख्या 15 ग्राम पंचायत बागावास के नाम से मात्र उक्त पट्टा संख्या 15 में 74.25 वर्गगज का ही पट्टा जारी किया गया है। जब पट्टा संख्या 15 पूर्व में उक्त सम्पति का जारी हो गया तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नाधीन सम्पति का अपीलाधीन पट्टा संख्या 24 जारी नहीं करना चाहिए। अतः पट्टा पुश्तैनी जमीन पर बिना कब्जे व कानून का उल्लंघन कर जारी किया गया, जो खारिज योग्य है।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 द्वारा कथन किया गया कि पट्टा संख्या 24 दिनांक 06.06.1999 को ज़ारी किया गया। मौके पर दुकानें, पट्टी रखे हैं। विवादित भूमि बजमाने से मोहन सिंह के नाम से दर्ज थी, जिस पर गैर निगरानीकार का कब्जा था। विवादित भूमि भाईयों के इकरारनामें के जरिये भूमि क्रय की गई। पट्टा जारी होने के बाद गिफ्ट डीड (दानपत्र) के द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 को दे दिया। अन्य कई व्यक्तियों को भी विकय कर दिया। पट्टा 706 वर्ग गज का है। निगरानी 15 वर्ष बाद पेश की गई है, जो पुश्तैनी भूमि बताते हुए पेश की है। मौके पर गैर निगरानीकार उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट भी गलत है। मौका रिपोर्ट पर गवाह हस्ताक्षर सही नहीं है। मौके पर कब्जा गैर निगरानीकार का है। क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इकरारनामे में गवाह के रूप में निगरानीकार रतन सिंह के हस्ताक्षर है। प्रार्थना आदेश 41 नियम 27 खारिज किया गया है। पट्टा नियमानुसार कब्जे के आधार पर मौका निरीक्षण कर जारी किया गया है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हम अपीलार्थी की अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा उभयपक्ष की बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:-

1. निगरानीकार ने निगरानी अधीन भूमि को पैतृक बताते हुए पट्टा जारी करने को अवैध बताया है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकार की पैतृक भूमि को तो उनके पिता श्री मोहन सिंह द्वारा श्री सांवलराम पुत्र श्री भूराराम को विकय किया गया था, जिस पर निगरानीकार के भी हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में निगरानीकार की निगरानी संदिग्ध व सारहीन ज्ञात होती है।
2. गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पुष्ट होता है कि निगरानी अधीन भूमि को गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा निगरानीकार के सह हिस्सेदार श्री मदन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिह से जरिये इकरारनामा क्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार की आपत्ति तथ्यहीन व सारहीन पुष्ट होती है।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

3. निगरानीकार द्वारा विवादित भूमि पर अपना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे निगरानी आधारहीन ज्ञात होती है तथा कब्जा होने के बावजूद पट्टा नहीं लेने की स्थिति मामले को संदिग्ध बनाती है। साथ ही तहसीलदार की रिपोर्ट में विवादित भूमि पर बीम व रोडी पडी होना बताया है, जबकि निगरानीकार ने निगरानी में पुख्ता मकान खाम बने होने व निवास करना बताया है।
4. निगरानीकार के सह हिस्सेदार श्री मदन सिंह द्वारा किये गये इकरारनामे में प्रदर्शित दिशाओं में निगरानीकार अथवा उनके पूर्वजों का नाम नहीं है, जो निगरानीकार के कब्जे को मिथ्या साबित करने का पर्याप्त आधार ज्ञात होता है। साथ ही विवादित पट्टे बाबत निगरानीकार के सह हिस्सेदारों द्वारा आपत्ति नही करना मामले को संदिग्ध बनाता है।
5. ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी अधीन पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया है, जबकि निगरानी 14 वर्ष के बाद विलम्ब से पेश की गई है तथा उक्त विलम्ब का कोई ठोस एवं पुख्ता कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, जो कि मामले को संदिग्ध व मियाद बाहर पुष्ट करते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर